न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

(पीठासीन अधिकारी :– अशोक कुमार सॉंखला, आर0 ए0 एस0)

अपील संख्या :– 168/06 अन्तर्गत धारा 223 आर0 टी0 एक्ट

उनवान :–

1. रामपत पुत्र घीसा राम
2. भगवाना पुत्र घीसा राम
3. रामकुंवार पुत्र घीसा राम
4. प्रभू पुत्र घीसा राम
5. भूपसिंह पुत्र घीसा राम जाति अहीरान निवासीयान ग्राम ईसमाइलपुर तहसील किशनगढबास जिला अलवर

:---- अपीलांटस

बनाम

1 हुसैनखां पुत्र घीसा जाति मेव निवासी ग्राम ईसमाइलपुर तह0 किशनगढबास जिला अलवर राजस्थान

2 तहसीलदार किशनगढबास जिला अलवर

:----- रेस्पों0

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री उपखंड अधिकारी, किशनगढबास दिनांक 18.7.2006

उपस्थित :–

1. वकील अपीलांटस :– श्री जनार्दन शर्मा
2. वकील रेस्पो0सं0 1 :– श्री जयकृष्ण गुप्ता

निर्णय

दिनांक 15.03.21

---

1 प्रस्तुत अपील न्यायालय उपखंड अधिकारी, किशनगढबास द्वारा राजस्व वाद संख्या 9/2004 तथा 11/2004 में वाद पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18.7.2006 के खिलाफ है, जिस निर्णय के द्वारा राजस्व वाद संख्या 9/04 उनवान रामपत बनाम हुसैन खां खारिज किया गया है तथा राजस्व वाद संख्या 11/04 हुसैना खां बनाम रामपत डिक्री किया गया है ।

2 प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी रामपत ने तहत अदालत में एक वाद संख्या 9/2004 रामपत बनाम हुसैना खां प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण ने आराजी खसरा नम्बर हाल 1480 रकबा 13 बिस्वा वाके ग्राम ईसमाइलुपर तहसील

भू–पबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

था । अतः दुरुस्ती कर 01 बिस्वा का खातेदार घोषित किया जावे । राजस्व वाद संख्या 11/04 हुसैना खां बनाम रामपत में वादी ने निवेदन किया था कि आराजी खसरा नम्बर हाल 1480 रकबा 12 बिस्वा वाके ग्राम ईसमाइलपुर तहसील किशनगढबास पर वादी के पिता घीसा का कब्जा अरसे दराज से चला आ रहा था । खसरा गिरदावरी सम्वत 2030–33 में वादी के पिता घीसा के नाम का इन्द्राज हो रहा है । उनके बाद वादी काबिज हो गया । विवादित आराजी पर गत 12 साल से ज्यादा समय से वादी का कब्जा चला आ रहा है । इसलिये विवादित भूमि पर वादीगण का एडवर्स पजेशन साबित है । अतः कब्जा मुखालफाना के आधार पर वादी को खातेदार दर्ज किया जावे । तहत अदालत ने अपीलाधीन निणर्य द्वारा वादीगण रामपत वगैरा का दावा खारिज किया है तथा वादी हुसैना खां का वाद डिक्री किया है, जिसकी यह अपील रामपत वगैरा ने प्रस्तुत की है ।

3 बहस में विद्वान वकील अपीलांटस का कथन है कि विवादित भूमि पर रेस्पो0 का कभी कब्जा नहीं रहा है । उसका 12 साल से अधिक से समय से कोई कब्जा साबित नहीं है । इसलिये उसका एडवर्स पजेशन साबित नहीं है । खसरा गिरदावरी सम्वत 2030 में इनके पूर्वज का नाम गलत तौर पर दर्ज कर दिया । मात्र एक खसरा गिरदावरी के आधार पर एडवर्स पजेशन नहीं होता है । हुसैना खां का वाद गलत तौर पर डिक्री किया है । हमने विवादित भूमि बच्चूमल से रकबा 13 बिस्वा खरीद किया था । वक्त खरीद से ही हमारा कब्जा चला आ रहा है । हमको 12 बिस्वा का ही खातेदार दर्ज कर दिया गया, जबकि 13 बिस्वा का खातेदार दर्ज करना चाहिए था । दस्तावेजी साक्ष्य से हमारा वाद सिद्ध है, परन्तु गलत तौर पर वाद खारिज कर दिया । अतः अपील स्वीकार की जावे ।

4 जवाब में विद्वान वकील रेस्पो0 ने अपने वाद पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये तर्क दिये कि विवादित भूमि पर कब्जा लगातार 12 साल से ज्यादा समय से साबित है । खसरा गिरदावरी 2030–33 में हमारे नाम का अंकन हो रहा है । हमको सही तौर पर एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी दी है । अतः अपील खारिज की जावे ।

5 हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्षीय बहस तर्कों पर गौर किया । तहत पत्रावली में संलग्न बयनामा दिनांक 12.5.72 के अवलोकन से सिद्ध है कि वादी रामपत ने बच्चूमल से अन्य खसरा नम्बरों के साथ साथ विवादित आराजी साबिक खसरा नम्बर 1453 रकबा 13 बिस्वा खरीदी है । जमाबन्दी सम्वत 2054 में रकबा 12 बिस्वा पर नाम दर्ज है । तहत पत्रावली में सलग्न दस्तावजो के अवलोकन से सिद्ध है कि वादीगण रामपत ने विवादित आराजी का 13 बिस्वा रकबा खरीदा था । तथा राजस्व रेकार्ड में उनका नाम 12 बिस्वा रकबे पर दर्ज किया गया है । बयनामा अनुसार 01 बिस्वा कम दर्ज किया गया है । परन्तु वादीगण रामपत वगैरा ने यह सिद्ध नहीं किया है कि उसका 01 बिस्वा रकबा किस खसरा नम्बर में शामिल किया गया है

राजस्व अपील अधिकारी एवं पदेन
... प्रशासनिक अधिकारी, अलवर

। अगर किसी निजी खातेदार के खसरा में शामिल कर दिया गया था तो उसे पक्षकार बनाना चाहिये था । अगर सरकारी खाते में शामिल कर दिया गया था तो सरकार के खिलाफ रिलीफ चाहते हुये सरकार को पक्षकार बनाते । जमाबन्दी सम्वत 2054 में रामपत का नाम 18 खसरा नम्बरों पर अंकित है । इस जमाबन्दी में उन सभी 18 खसरा नम्बरों का उल्लेख नहीं है । हां उनका कुल रकबा अंकित है । परन्तु अंकन केवल खसरा नम्बर 1480 रकबा 12 बिस्वा का ही है । हो सकता है कि विवादित आराजी का 01 बिस्वा रकबा उसके ही किसी खसरा नम्बर में शामिल कर दिया गया हो । वादगण रामपत वगैरा को अपने खाते की सम्पूर्ण भूमि का रेकार्ड प्रस्तुत करना चाहिये था । वादी को अपना वाद स्वयं दस्तावेजी साक्ष्य से साबित करना होता है । वादीगण रामपत वगैरा ने दस्तावेजी साक्ष्य से अपना वाद साबित नहीं कराया गया है । इसलिये उसका वाद सही तौर पर खारिज किया गया है ।

6 तहत पत्रावली में संलग्न खसरा गिरदावरी सम्वत 2030–33 में वादी हुसैना खां के पिता घीसा की काश्त दर्ज है । इसके अलावा अन्य कोई दस्तावेज हुसैना खां ने प्रस्तुत नहीं किये है । एडवर्स पजेशन साबित करने के लिये लगातार 12 साल का कब्जा दस्तावेजी साक्ष्य से साबित करना होता है । इसके अलावा भूमि कस्टोडियन की थी, जिसकी सनद बच्चूमल प्राप्त कर चुका था और फिर उसने भूमि रामपत वगैरा को बेच दी । कस्टोडियन भूमि पर एडवर्स पजेशन लागू नहीं होता है । ऐसी भूमियों की कीमत कर्जा जमा करवाकर सनद ली जाती है । वादी हुसैना अपना वाद दस्तावेजी साक्ष्य से साबित नहीं कर पाया था । ऐसी स्थिति में तहत अदालत ने वाद डिक्री कर दिया, जिसे विधिसम्मत नहीं कहा जा सकता ।

7 अतः आदेश है कि अपील अपीलांट खारिज की जाकर तहत अदालत द्वारा राजस्व वाद संख्या 9/04 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18.7.06 की हद तक यथावत रखे जाते है तथा राजस्व वाद संख्या 11/04 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18.7.06 की हद तक निरस्त रखे जाते हैं ।

8 निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया । पर्चा डिक्री जारी हो । पत्रावली फैसल शुमार हो ।

(अशोक कुमार सॉंखला)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

(पीठासीन अधिकारी :– अशोक कुमार सॉंखला, आर0 ए0 एस0)

अपील संख्या :– 168/06 अन्तर्गत धारा 223 आर0 टी0 एक्ट

उनवान :–

1. रामपत पुत्र घीसा राम
2. भगवाना पुत्र घीसा राम
3. रामकुंवार पुत्र घीसा राम
4. प्रभू पुत्र घीसा राम
5. भूपसिंह पुत्र घीसा राम जाति अहीरान निवासीयान ग्राम ईसमाइलपुर तहसील किशनगढबास जिला अलवर

:---- अपीलांटस

बनाम

1. हुसैनखां पुत्र घीसा जाति मेव निवासी ग्राम ईसमाइलपुर तह0 किशनगढबास जिला अलवर राजस्थान
2. तहसीलदार किशनगढबास जिला अलवर

:----- रेस्पों0

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री उपखंड अधिकारी, किशनगढबास दिनांक 18.7.2006

उपस्थित :–

1. वकील अपीलांटस :– श्री जनार्दन शर्मा
2. वकील रेस्पो0सं0 1 :– श्री जयकृष्ण गुप्ता

पर्चा डिक्री दिनांक 15.03.2021

अपीलांट खारिज की जाकर तहत अदालत द्वारा राजस्व वाद संख्या 9/04 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18.7.06 की हद तक यथावत रखे जाते है तथा राजस्व वाद संख्या 11/04 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18.7.06 की हद तक यथावत रखे जाते हैं ।

(अशोक कुमार सॉंखला)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर